

प्रावधिक मान्यता प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमतीका परिवार, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल

प्रमाणिक / म.प्र.न.र.क. / 25 /

भोपाल, दिनांक : 27/09/2025

मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत
People's College of Nursing & Research Centre (07136) Bhopal, PEOPLES CAMPUS Run By
Society/Trust Name : SARVAJANIK JANKALYAN PARMARTHIK NAYAS पंजीयन क्रमांक A250192 को
निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

क्रमिक	पाठ्यक्रम	वैधानिक सत्र	छात्र संख्या	चार साल की संवदता
1	B.Sc. (Renewal)	2025-26	100	NO
2	G.N.M. (Renewal)	2025-26	60	NO
3	M.Sc. (Nursing) Medical Surgical Nursing (Renewal)	2025-26	3	NO
4	M.Sc. (Nursing) Community Health Nursing (Renewal)	2025-26	5	NO
5	M.Sc. (Nursing) Obstetric Nursing (Renewal)	2025-26	6	NO
6	M.Sc. (Nursing) Pediatric Nursing (Renewal)	2025-26	6	NO
7	M.Sc. (Nursing) Psychiatric Nursing (Renewal)	2025-26	5	NO
8	P.B.B.Sc. (Renewal)	2025-26	30	NO

मान्यता की शर्तें:-

- यह मान्यता "मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" एवं "संशोधित नियम" के तहत शासित है।
- सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटरनेशनल पूर्ण कक्षा अतिवाच्य होगा।
- संस्था द्वारा छत्र अध्यापक के पालक से पास की जाने वाली निम्नलिखित फीस / शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-
(अ) प्रवेश, शिक्षण, विज्ञान / संचारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय-समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अध्यापक मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
(ब) प्रवेश परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची / प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल / मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विधिविभाग जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
- यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मान्यता निरस्त की जाएगी।
- मान्यता प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति/माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों के अधीन रहेगा।
- उक्त प्रावधिक मान्यता मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 व संशोधित नियमों के तहत संशोधित दी जा रही है। भविष्य में आवश्यक निरीक्षण के दौरान उक्त शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में उक्त मान्यता निरस्त की जा सकती है। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संशोधित संस्था की होगी।
- यह मान्यता आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्व प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मान्यता निरस्त की जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Singh
Date: 2025.09.27 14:14:19 IST
Reason: Maryada Pramanpatra
Location: Bhopal(MP)

दिनांक :- 27/09/2025

हस्ताक्षर

श्री मुकेश सिंह

रजिस्ट्रार